

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। संलग्न है। (1 पैच)
  - ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
  - iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
  - iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। संलग्न है।
  - v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। संलग्न है।
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12— प्रभाग / जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। नैनीताल 3422.00 वर्ग कि०मी० ।
- ii. जिला का वन क्षेत्र। जनपद नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग का क्षेत्रफल 22719.63 है० ।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 18 मामलों में 38.80 है० ।
- iv. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण रिक्त ।
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि रिक्त ।
- (ख) वनेत्तर भूमि पर वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति ।
- (क) वन भूमि पर 38.80 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 225.50 रो० कि०मी० अन्य प्रभागों द्वारा किया गया है।

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 21-11-2014

स्थान— हल्द्वानी

सरकारी मोहर प्रभागीय वनाधिकारी  
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग  
हल्द्वानी